



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी०१० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-४९२००५ (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-०७७१-२२८२५३०, २२८५५९० ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छग०/दुर्ग/चू०प०-५१/रायपुर

खान कोड: ३८ छ०ग० ०५०२०

दिनांक:— ११/११/२०२०

प्रति,

के० बी० लाल श्रीवास्तव एण्ड सन्स (एच०य०एफ०), पट्टेदार
वास्ते श्री संजय श्रीवास्तव,
जी-४, आदर्श नगर, ग्राम एवं पोस्ट-दुर्ग,
दुर्ग (छ.ग.)-४९१००१

विषय:-

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में रिथत आपकी मेडेसरा चूनापत्थर खदान १२.८५० हेठो में
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक १६/१०/२०२० को श्री संजय
श्रीवास्तव, खान मालिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया
कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :—

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2019-20.
Rule 35	Online self assessment report of mining and allied activities as per the notified template of star rating in the format prescribed by the Indian Bureau of Mines for the year 2019-20 has not been submitted.
Rule 45 (7)	Annual Return 2019-20: Part - VI (Production, Dispatches And Stock) ५. Sales/Dispatches effected for Domestic Consumption and for exports (LIMESTONE): Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer for the dispatched quantity of ९०९५.८४० Metric Tonnes of Limestone is not mentioned in the returns.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ६२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ४५(७) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से ४५ दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :—

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-४४०००१
- उप महानिदेशक (सांचियकी), खनन एवं सांचियकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-४४०००१

3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर